

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्द्धकुम्भ मेला-2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में लाउदर रोड पर रामबाग रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद-वाराणसी व फाफामऊ- इलाहाबाद रेलखण्ड पर स्थित रेल सम्पार सं०- टी-1बी 2 लेन उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु, इलाहाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रफल 0.0152 हे० संरक्षित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।


परियोजना प्रबन्धक
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सेतु निर्माण इकाई, इलाहाबाद।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इलाहाबाद


अध्यक्ष वन मा. क.
इलाहाबाद

(Satish Kumar)
Project Manager
M.P. State Bridge Corporation Ltd.
Allahabad